<u>प्रेस नोट</u>

<u>सराहनीय कार्य कानपुर देहात</u>
<u>दिनांक- 24.07.2024</u>

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना भोगनीपुर पुलिस की कार्यवाही से ग्राम पिपरी में 07 लोगों पर जानलेवा हमला करने, जिनमें से 01 बच्ची की मृत्यु कारित करने वाले 01 नफर वाँछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद बाँका को के साथ गिरफ्तार किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.07.2024 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 वरातीलाल निवासी ग्राम लल्लूपुरवा मजरा दहेली थाना रेउना कानपुर नगर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 224/2024 धारा 103(1)/109/118(1)/115 BNS बनाम दीपू पुत्र मुन्नूलाल निवासी अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.07.2024 को अभियुक्त दीपू पुत्र मुन्नूलाल निवासी मुरली का पुरवा थाना दिबियापुर जनपद औरैया को माँचा मोड़ के पास थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> अभियुक्त दीपू पुत्र मुन्नूलाल निवासी मुरली का पुरवा थाना दिबियापुर जनपद औरैया ने पूछताछ में बताया गया कि साहब मेरे भाई बबलू की साली पूजा है। पूजा की शादी सुरेन्द्र संखवार से ग्राम पिपरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में हुई थी तथा वर्ष 2017 में पूजा के पति सुरेन्द्र की रोड एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गयी थी। मेरे भाई बबलू की पत्नी ने कहा कि तुम पूजा से शादी कर लो तथा उसके साथ रहो तब मैंने लगभग 04 वर्ष पूर्व पूजा से कोर्ट मैरिज कर ली थी तथा 02 साल से मैं पूजा के साथ उसके घर पिपरी में रह रहा था। पूजा के पहले पति से 02 बच्चे हैं जिनका नाम उमंग व सूरज है जिनको मैं अपने बच्चों की तरह मानता था लेकिन दोनों लड़के मुझे पसंद नहीं करते थे तथा कहते थे कि यहाँ से चले जाओ। पूजा का देवर महेन्द्र भी बार-बार कहता था कि गाँव में मेरी बेज्जती होती है तुम यहाँ पर मत रहो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं घर का सब काम करता था फिर भी पूजा व बच्चे कहते थे कि तुम कुछ काम नहीं करते हो। दिनांक 22.07.2024 को मेरी, पूजा से लड़ाई हो गयी थी तथा पूजा कह रही थी कि तुम बाहर जाकर काम करो तथा पैसा कमाकर लाओ । उसके बाद उसने अपने

पिताजी को फोन किया तो उसके पिता ने कहा कि जब काम नहीं करना है तो घर में ताला लगा के चले आओ। मैं घर का सारा काम करता हूँ फिर भी उन लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं करता जिससे मेरे मन में क्रोध आ गया और मैंने ठान लिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूगा। रात में जब पूजा, सूरज और उमंग छत पर सो गये तो आधी रात के समय घर में रखे बाँके को लेकर छत पर गया तथा पूजा, सूरज व उमंग पर जान से मारने के लिये कई बार वार किया। उसके बाद मैं छत की दीवार कूदकर बगल में महेन्द्र के घर में जाने लगा तो शोरगुल की आवाज सुनकर महेन्द्र की पत्नी बीना छत पर आ गयी तो मैंने बीना के ऊपर छत पर ही बाँके से कई प्रहार किये तथा जीने से नीचे उतरकर महेन्द्र तथा उसके दोनों बच्चे सूर्यांश व काव्या पर उसी बाँके से कई बार वार किया था। फिर मैं बाँका लेकर जीने से छत पर चढ़कर अपनी छत पर आया, मुझे लगा कि सब मर गये हैं तब घर से बाहर निकला। बाँका साथ में लिये हुए गाँव को पार करके तथा हाइवे को पार कर दूसरी तरफ हाइवे किनारे बने एक छोटे से मंदिर के पास झाड़ियों में बाँके को फेंक दिया। घटना में प्रयुक्त बाँका अभियुक्त की निशानदेही कानपुर-झाँसी हाइवे से अमरौधा जाने वाली सड़क के किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. दीपू पुत्र मुन्नूलाल निवासी मुरली का पुरवा थाना दिबियापुर जनपद औरैया ।

बरामदगी का विवरण-

1. आलाकत्ल 01 अदद बाँका
2. एक एण्ड्रायड मोबाइल व 250/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अंजन कुमार सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. हे0का0 267 सतेन्द्र सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. का0 418 गुलशन यादव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
4. का0 455 राहुल कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।